न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2006 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 02.05.2006
G.C.M.S. NO. :- 2006/00001

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री कैलाशिया पिता सजनिया कंजर निवासी मानजी का गुढ़ा थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम,1953

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2–श्री हेमन्त गर्ग, अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक 04.05.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, 1953 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल मानजी का गुढ़ा, थाना भदेसर, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति चोरी, नकबजनी एवं लुट संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, 1953 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण संख्या 01/2006 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री कैलाशिया पिता सजनिया कंजर निवासी मानजी का गुढ़ा थाना भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त गर्ग द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में निम्नांकित गवाहान के बयान दर्ज कराये गयेः-

1-श्री कुबेर सिंह पिता रोड़ सिंह राजपूत, उ. नि. हाल रिटायर्ड निवासी बम्बोरा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2-श्री रणवीर सिंह पिता शिवसिंह हाल रिटायर्ड उ. नि. निवासी रावतभाटा
3-श्री रणविजय सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत हाल सी. ओ. जोधपुर
4-श्री बख्तावर सिंह पिता देवीसिंह राजपूत तत्कालीन उ. नि. हाल रिटायर्ड निवासी सिहाड़, थाना खैरोदा, जिला उदयपुर

अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति मारपीट, नकबजनी व लुट संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 4 प्रकरण दर्ज हुए हैंः-

1-	प्र.सं. 157/97	धारा 450, 380, 394, 411 ता. ही.
2-	प्र.सं. 33/99	धारा 392, 362, 342 आई. पी. सी.
3-	प्र.सं. 208/97	धारा 457, 380 ता. ही.
4-	प्र.सं. 289/2000	धारा 307 आई. पी. सी.

गैरसायल को उक्त 04 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों में ही सजा हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है।

गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे अभ्यस्त अपराधी घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को अभ्यस्त अपराधी घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरूद्ध द्वेषतावश उक्त प्रकरण बनाकर अभ्यस्त अपराधी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन–यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा मे न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त चारों प्रकरण गम्भीर प्रकृति के होकर चारों प्रकरणों में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के आपराधिक प्रकरणों एवं चाल–चलन के संबंध में रिपोर्ट लेने पर गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2007, 2009, 2010, 2012 एवं 2014 में भी एक–एक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं जिससे गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 3 के तहत गैरसायल कैलाशिया पिता सजनिया कंजर निवासी मानजी का गुढ़ा, थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को अभ्यस्त अपराधी घोषित किया जाता है। गैरसायल का नाम अभ्यस्त अपराधियों के संबंध में संधारित रजिस्टर में दर्ज किया जावे तथा गैरसायल के फोटो थाने के सूचना पट्ट पर अभ्यस्त अपराधी की पंजिका के क्रमांक सहित नाम व पूर्ण पते सहित प्रदर्शित किये जावे। गैरसायल को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नजदीकी पुलिस थाने में नियमित रूप से उपस्थिति देगा। अपने फींगर प्रिन्ट अंकित करायेगा तथा सकूनत छोड़ने की स्थिति में

थानाधिकारी को जहां वह जाना चाहता है उस स्थान आदि का पूर्ण पता सम्पर्क सूत्र की सूचना देगा।

साथ ही गैरसायल को 1 (एक) माह के लिए जिला चित्तौड़गढ़ से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 18.05.2022 तक अपने आप को इस जिले से निष्कासित कर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी के यहां दर्ज कराने के पश्चात् ही वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र बनेड़ा में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हॉल व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि अपने कब्जे में नहीं रखेगा। थानाधिकारी गैरसायल से उक्त निषेधाज्ञाओं की पालना सुनिश्चित करावें, इनका उल्लंघन पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा को यथासमय सूचित करेंगे एवं पुलिस स्टेशन के रेकर्ड में गैरसायल के फींगर प्रिन्ट, निवास का पता एवं सम्पर्क सूत्र आदि सम्पूर्ण सूचना का रेकर्ड रखेंगे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)